न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 72 / 2014

उनवान

(1) मृतका श्रीमति पोनी बेवा थानजी जाति भील निवासी टिमुरवा तहसील गढी जिला बांसवाडा के वारिसानः–

1/1. श्रीमति मणि पुत्री थानजी (पत्नी परभु) जाति भील उम्र वयस्क निवासी टिमुरवा हाल डोबापाडा वहसील गढी जिला बांसवाडा।

1/2. श्रीमति शारदा पुत्री थानजी (पत्नी शम्भुलाल) जाति भील उम्र वयस्क निवासी हिमुरवा हाल आहियापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

1/3. श्रीमति कान्ता पुत्री थानजी(पत्नी विजेन्द्र) जाति भील उम्र वयस्क निवासी टिमुरवा हाल फाटीखान गिढी जिला बांसवाडा।

1/4. श्रीमति कविता पुत्री थानजी (पत्नी गटुलाल) जाति भील उम्र वयस्क निवासी टिमुरवा हाल फाटीखान तहसील गढी जिला बांसवाडा।

1/5. श्रीमति सरस्वती पुत्री थानजी (पत्नी गटु) जाति भील उम्र वयस्क निवासी टिमुरवा हाल हडमतिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

1/6. श्रीमति सोनी पुत्री थानजी (पत्नी दिलीप) जाति भील उम्र वयस्क निवासी टिमुरवा हाल टामटिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: वादीगण

बनाम

(1) वेंलजी पिता लालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी गामडी नारायण मजरा महुडीपाडा पटवार हल्का जौलाना तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढी हाल तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

–: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 13.8.2024

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि वादीगण के दादा लालु पिता दुधा एवं नारेग, रूपा, हुका, चमना पितरान दुधा के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य का खाता संवत 2028–2031 का खाता नम्बर 79 का खसरा नम्बरान। 41, 42, 44,45,48,49, 51, 52,54, 55,58,59,61, 63, 65, 870/1, 50, 986/56, 987/56, 929/56, 811/85, 964/85,947/56 कुल खेत नंग 23 कुल रकबा 32 बिघा 1 बिस्वा के नये नम्बर संवत 2039 में 208, 209, 210, 212, 348, 358, 359, 381, 394, 395, 396, 398, 351, 190,382, 385, 3247,3248, 191,383, 386, 192, 346, 384,388,345, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,378, 379, [illegible]87, 389, 390, 390/3784, 391 वाके ग्राम टिमुरवा उपलापाडा पटवार हल्का जौलाना तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) की भुमि का मुल खातेदार दुधा पिता [illegible] हुका, चमना ने आपस मे संवत 2039 में विभाजन कर वादीगण के पिता लालु वल्द दुधिया के हिस्से में 345, 365, 366,368,369,370,371, 372,373,374,375, 376, 377, [illegible] 379, 380, 387, 389, [illegible] 390/3744, 391 नाम से राजस्व रेकार्ड मे बहैसियत खातेदार के दर्ज है तथा मुल खातेदार का सजरा निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

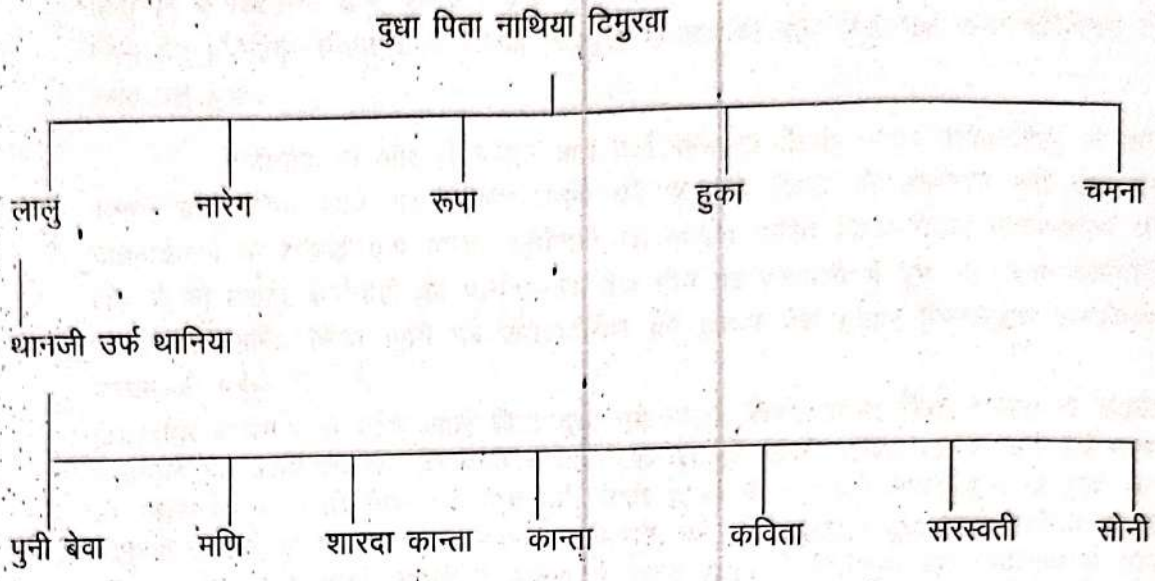

दुधा पिता नाथिया टिमुरवा

लालु | नारेग | रूपा | हुका | चमना

लालु

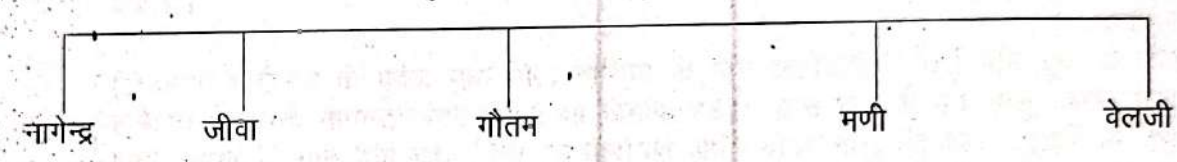

थानजी उर्फ थानिया

पुनी बेवा | मणि | शारदा कान्ता | कान्ता | कविता | सरस्वती | सोनी

प्रतिवादी वेलजी पिता वालु की वंशावली निम्नानुसार है–

वालु गामडी नारायण

नागेन्द्र | जीवा | गौतम | मणी | वेलजी

वादीगण के खातेदारी की कृषि भूमि के मुल खातेदार दुधा पिता नाथिया के नाम है बहैसीयत खातेदारी के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रही तथा मूल खातेदार दूधा पिता नाथिया के फौत होने पर नामान्तरण संख्या 45 दिनांक 07/06/1968 द्वारा विरासती भूमि दूधा के पुत्र लाल, नारंग, रूपा, हुका, चमना के नाम से राजस्व रेकार्ड में बहैसियत खातेदारी की दर्ज हुई। उक्त वादग्रस्त भुमि पर वादीगण की अपने दादा लालु एवं अपने पिता थानजी के साथ काश्त करते हुए वर्तमान मे भी वादीगण काबीज होकर काश्त कर रहे है व राज्य सरकार मे लगान अदा करते चले आ रहे है। वादग्रस्त कृषि भुमि को संवत 2039 के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खाते में भाईयों के मध्य विभाजन कर लालु पिता दुधा की कृषि भुमि प्रतिवादी वेलजी पिता लालु के नाम विभाजन कर खाते मे दर्ज कर दी जबकी वेलजी पिता लालु के नामं से गांव टिमुरवा मे कोई व्यक्ति नही है तथा वेलजी पिता वालु गांव गामडी नारायण का नाम दर्ज कर भू–प्रबन्ध विभाग अधिकारी ने बिना अधिकार के वादग्रस्त भूमि मे विभाजन किया गया। उस समय वादी के दादा लालु पिता दूधा भी जीवित थे लेकिन बिना किसी आदेश के लालु पिता दूधा का नाम हटाकर वेलजी पिता लालु के नाम दर्ज कर दिया जो कि गैर कानुनी होकर काबीज खारजी है। वादीगण को पैतृक खाते की कृषि भुमि मे अपना नाम दर्ज करवाने हेतु खातेदार कृषक घोषित करने बाबत् दावा धारा अन्तर्गत [illegible] पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि को संवत 2039 मे बिना अधिकार के विभाजन क[illegible] तौर पर वेलजी पिता लालु भील तथा वेलजी के पिता निवासी गाम[illegible] जिस वजह से वादीगण अपनी भूमि का उपयोग व उ[illegible] है जो कि नामे वालु है तथा गामडी नारायण निवासी होकर निर्वाचन नामावली 2013 [illegible] संख्या 179 की क्रमांक संख्या 750 मे वेलजी पिता वालु दर्ज रेकार्ड है एवं प्रतिवादी की गांव टिमुरवा मे बाप दादा के समय से कोई कृषि भुमि स्थित नही है और उक्त कृषि भुमि 111 भु–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आदेश के प्रतिवादी संख्यां 1 के नाम दर्ज मणी किए जाने से वादीगण को असहनीय क्षति हो रही है जिसका मूल्यांकन रूपयो में करना संभव नही है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण वादीगण का बनना पाया जाता है एवं सुविधा संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। प्रतिवादी संख्या 1 वादिगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

झुठे प्रकरण में फसा कर कृषि भुमि को खुर्द बुर्द करने का प्रयास कर रहा है तथा कभी भी वादीगण के विरासती खाते को बे बेचान कर सकता है। जिसे तत्काल रोका जाना आवश्यक है जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद धारा 188 रा.का.अधिनियत के तहत पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने गये। प्रतिवादीगण की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दो तरफा कार्यवाही का प्रार्थना–पत्र पेश होने पर पत्रावली में पुनः दो तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया जाने पर प्रतिवादीगण का जवाब पेश होकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः–

(1) आया वादीगण के दादा लालु पिता दुधा एंव नारेंग, रूपा, चमना पिसरान दुधा के संयुक्त स्वाामित्व एंव आधिपत्य की जमाबन्दी संवत 2028–31 की खाता संख्या 79 के कुल सर्वे नम्बर 23 रकबा 32 बीघा 01 बिस्वा के जमाबन्दी संवत 2039 के नये सर्वे नम्बर कुल 46 वाके ग्राम टिमुरवा उपलापाड़ा पटवार हल्का जौलाना की भूमि का मूल खातेदार दुधा पिता नाथिया के पुत्र लालु, नारेंग, रूपा, हुका, चमना ने आपस में सवंत 2039 में विभाजन कर वादीगण के पिता लालु वल्द दुधिया के हिस्से में सर्वे नम्बर 345, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 387, 389, 390, 390/3744, 391 बहैसियत खातेदार दर्ज है।

–: वादीगण

(2) आया वादीगण के पूर्वज दुधा पिता नाथिया के नाम खातेदारी मे दर्ज भूमि दुधा के फौत होने पर विरासती नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 7.6.68 द्वारा दुधा के पुत्र लालु, नारेंग, रूपा, हुका, चमना के नाम दर्ज हुई। जिस पर वादीगण अपने दादा लालु एंव पिता थानजी के साथ काश्त करतें हुऐ वर्तमान में भी काबिज है।

–: वादीगण

(3) आया वादग्रस्त भूमि संवत 2039 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा विभाजन कर लालु पिता दुधा के की भूमि प्रतिवादी वेलजी पिता लालु के नाम दर्ज कर दी जबकि वेलजी पिता लालु के नाम से गांव टिमुरवा में कोई व्यक्ति नही है। तथा वेलजी पिता वालु गांव गामड़ीनारायण का नाम भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारी ने बिना अधिकार के दर्ज किया गया। उस समय वादीगण के दादा लालु जीवित थे लोकिन लालु पिता दुधा का नाम हटाकर वेलजी पिता लालु के नाम खाता दर्ज किया जो कि गैर कानूनी होकर काबिज खारजी है।

–: वादीगण

(4) आया वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी भूमि होना अस्वीकार है। वादीगण द्वारा गलत सजरा प्रस्तुत किया गया है। दुधा के रूपा, लालु, वालु, नारंग, हुका, चमना पुत्र थें एंव वालु के 5 वारिसान में से एक वेलजी पिता वालु है। इसके साथ ही लालु के पुत्र थानीया की मुत्यु होने पर उसकी पत्नि पोनी द्वारा वेलजी के गोद लिया गया है। इस आधार पर वेलजी का नामान्तरकरण सही है। तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

–: प्रतिवादी

(5) अनुतोषः–

वादीगण की साक्ष्य [illegible] सोहन, श्रीमती कान्ता के शपथ–पत्र पेश हुऐ। वादी के गवाह से प्रतिवा[illegible] द्वारा जिरह हेतु पत्रावली नियत की जाने पर प्रतिवादी अभिभाषक [illegible] "[illegible]STRUCTION PLEAD" किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में [illegible]ीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में कायम की गई तनकियात निम्नानुसार निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादीगण का है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:23.39 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
जिला बांसवाड़ा

तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार वादीगण का है, वादीगण स्वंय द्वारा तनकीयात में वर्णित भूमि विरासती नामान्तरकरण अनुसार दर्ज होकर मौके पर काबिज होना अवगत कराया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करने का भार वादीगण का है, वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में वर्णित वंशावली अनुसार वादीया मुल पुरूष दुधा के बड़े पुत्र लालु के एक मात्र पुत्र थानजी उर्फ थानिया की धर्म पत्नि पोनी होकर उनकी कुल छः पुत्रिया होना दर्शाया गया है। इस प्रकार मृतक थानजी उर्फ थानिया की पुत्रिया होने के उपरान्त भी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि विभाजन कर वेंलजी पिता लालु का नाम दर्ज किया गया जो न्यायोचित नही होने से उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का है, प्रतिवादी द्वारा गोदनामा प्रस्तुत नही किया गया एंव न ही साक्ष्य पेश हुई। उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

प्रकरण वादी अभिभाषक द्वारा वादीया पोनी के फोत होने के कम में आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करतें हुऐ वादीया के वारिसान पूर्व से ही वाद में पक्षकारान् होना अवगत कराया।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वाद में वर्णित वंशावली के मूल खातेदार दुधा पिता नाथिया के पुत्र लालु, नारेंग, रूपा, हुका, चमना द्वारा संवत 2039 में किये गये भूमि विभाजन अनुसार वादीया संख्या 01 के ससुर व वादीया संख्या 2 लगायत 7 के दादा लालु वल्द दुधिया के हिस्से की पटवार हल्का टिमुरवा के मौजा उपलापाड़ा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 66 (नया) 71 (पुराना) कुल किता 21 रकबा 1.28 हे0 भूमि में दर्ज खातेदार वेलजी पुत्र लालु का नाम विलोपित किया जाकर मृतका श्रीमति पोनी बेवा थानजी जाति भील के वारिसान 1/1 लगायत 1/6 को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 01 वेलजी को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि के शान्तीपूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें एंव न ही प्रवेष करें न किसी अन्य से एसा कोई कृत्य करावें जिससे की वादीगण को व्यवधान पैदा हो।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वाद में वर्णित वंशावली के मूल खातेदार दुधा पिता नाथिया के पुत्र लालु, नारेंग, रूपा, हुका, चमना द्वारा संवत 2039 में किये गये भूमि विभाजन अनुसार वादीया संख्या 01 के ससुर व वादीया संख्या 2 लगायत 7 के दादा लालु वल्द दुधिया के हिस्से की पटवार हल्का टिमुरवा के मौजा उपलापाड़ा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 66 (नया) 71 (पुराना) कुल किता 21 रकबा 1.28 हे0 भूमि में दर्ज खातेदार वेलजी पुत्र लालु का नाम विलोपित किया जाकर मृतका श्रीमति पोनी बेवा थानजी जाति भील के वारिसान 1/1 लगायत 1/6 को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 01 वेलजी को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि के शान्तीपूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें एंव न ही प्रवेष करें न किसी अन्य से एसा कोई कृत्य करावें जिससे की वादीगण को व्यवधान पैदा हो। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्राजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 72/2014

उनवान

(1) मृतका श्रीमति पोनी बेवा थानजी जाति भील निवासी टिमुरवा तहसील गढी जिला बांसवाडा के वारिसानः–

1/1. श्रीमति मणि पुत्री थानजी (पत्नी परभु) जाति भील उम्र वयस्क निवासी टिमुरवा हाल डोबापाडा वहसील गढी जिला बांसवाडा।

1/2. श्रीमति शारदा पुत्री थानजी (पत्नी शम्भुलाल) जाति भील उम्र वयस्क निवासी हिमुरवा हाल आहियापाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

1/3. श्रीमति कान्ता पुत्री थानजी(पत्नी विजेन्द्र) जाति भील उम्र वयस्क निवासी टिमुरवा हाल फाटीखान गिढी जिला बांसवाडा।

1/4. श्रीमति कविता पुत्री थानजी (पत्नी गटुलाल) जाति भील उम्र वयस्क निवासी टिमुरवा हाल फाटीखान तहसील गढी जिला बांसवाडा।

1/5. श्रीमति सरस्वती पुत्री थानजी (पत्नी गटु) जाति भील उम्र वयस्क निवासी टिमुरवा हाल हडमतिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

1/6. श्रीमति सोनी पुत्री थानजी (पत्नी दिलीप) जाति भील उम्र वयस्क निवासी टिमुरवा हाल टामटिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: वादीगण

बनाम

(1) वेलजी पिता लालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी गामडी नारायण मजरा महुडीपाडा पटवार हल्का जौलाना तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढी हाल तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

–: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 13.8.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेष होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वाद में वर्णित वंशावली के मूल खातेदार दुधा पिता नाथिया के पुत्र लालु, नारेंग, रूपा, हुका, चमना द्वारा संवत 2039 में किये गये भूमि विभाजन अनुसार वादीया संख्या 01 के ससुर व वादीया संख्या 2 लगायत 7 के दादा लालु वल्द दुधिया के हिस्से की पटवार हल्का टिमुरवा के मौजा उपलापाड़ा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 66 (नया) 71 (पुराना) कुल किता 21 रकबा 1.28 हे0 भूमि में दर्ज खातेदार वेलजी पुत्र लालु का नाम विलोपित किया जाकर मृतका श्रीमति पोनी बेवा थानजी जाति भील के वारिसान 1/1 लगायत 1/6 को खातेदार घोषित [illegible] तथा प्रतिवादी संख्या 01 वेलजी को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि [illegible] कब्जे काश्त की भूमि के शान्तीपूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न न [illegible] अन्य से एसा कोई कृत्य करावें जिससे की वादीगण को [illegible] की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा [illegible] मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक [illegible] का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक .8.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested